

प्रवेश और फीस नियमन समिति उत्तर प्रदेश  
प्राविधिक शिक्षा विभाग  
संख्या-1379/प्र0फी0नि0स0/2018  
लखनऊ दिनांक 20 सितम्बर, 2018  
कार्यालय आदेश

जिस किसी से सम्बंधित हो

सूचित किया जाता है कि कार्यालय आदेश संख्या-115/प्र0फी0नि0स0/2016 दिनांक 07.11.2016 द्वारा प्रवेश और फीस नियमन समिति, उ0प्र0 द्वारा निर्गत मानक शुल्क वर्ष 2017-18 हेतु निजी क्षेत्र की डिग्री स्तरीय अभियन्त्रण एवं व्यावसायिक संस्थान/निजी क्षेत्र की डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थाओं/सहायता प्राप्त डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थाओं में चल रहे पाठ्यक्रमों का वर्ष 2017-18 हेतु मान्य था तथा जिन संस्थानों का शुल्क मानक शुल्क से इतर पिछले वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित किया गया था, उन संस्थाओं पर वर्ष 2019-20 तक यथा निर्धारित शुल्क ही मान्य होगा।

ऐसे संस्थान जिन्होंने 2017-18 में मानक शुल्क स्वीकार्य किया था उनका मानक शुल्क/मानक शुल्क से इतर शुल्क प्रवेश और फीस नियमन समिति द्वारा वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 हेतु समिति के आदेश संख्या-64/प्र0फी0नि0स0/2018 दिनांक 19 जून, 2018 (मानक शुल्क) एवं मानक शुल्क से इतर आदेश दिनांक 08 अगस्त, 2018 में निर्गत किये गये हैं।


  
(एफ0आर0 खान)  
सचिव

कार्यालय सचिव प्रवेश और फीस नियमन समिति बासमण्डी चौराहा चारबाग, लखनऊ।

पृ0सं0 1379-86 /प्रफीनिस/2018 लखनऊ दिनांक 20 सितम्बर, 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक/प्राचार्य, उ0प्र0 में संचालित निजी क्षेत्र की डिग्री एवं डिप्लोमा स्तरीय समस्त अभियन्त्रण एवं व्यवसायिक संस्थान।
2. कुल सचिव, डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3. उप सचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग विभाग एवं अल्प संख्यक विभाग।
5. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6. निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से  
  
(एफ0आर0 खान)  
सचिव